>

Title: Reported abolition of reservation for SCs/STs and physically handicapped in Jamia Milia Islamia University by conferring it the status of Minority Educational Institution by National Commission of Minority Educational Institutions.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता तथा उसके तहत अनुसूचित जातियां, जनजातियां, ओबीसी एवं विकलांगों का आरक्षण समाप्त करने जैसे अति संवेदनशील लोक महत्व के मामले को शून्यकाल में उठाने दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मंगलवार को दे दिया था। अब वहां मुस्लिम बच्चों को दाखिले में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा बल्कि पहले से चला आ रहा अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को 22.5 प्रतिशत, ओबीसी, विकलांग ऐसे अन्य जामिया से ही स्कूली पढ़ाई शुरू करने वालों का 25 प्रतिशत का कोटा भी खत्म हो गया। यह फैसला विश्वविद्यालय की मूल अवधारणा के विपरीत है। सन् 2006 में खुद जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोग में शपथ पत्र देकर जामिया का अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के विरोध के बावजूद ऐसा फैसला राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित इसी तरह का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है जिस पर कोई फैसला आने से पहले आयोग द्वारा किया गया यह निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इच्छा के भी खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं विकलांगों को जामिया में मिलने वाला आरक्षण यथावत जारी रखा जाए तथा जामिया विश्वविद्यालय की धर्मनिरपेक्ष छवि को और मजबूती प्रदान करने हेतु उपयुक्त प्रबंध किए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल *m03 डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी के विषय के साथ अपने को एसोसिएट करते हैं।

साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल का बिजनेस लगा हुआ है। मेरे पास जीरो ऑवर के चार-पांच और विषय हैं। अगर हाउस एग्री हो तो हम इसे निपटाने के बाद ही प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू करेंगे।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।